प्रसादम् (Prasadam)

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन

श्री महाकाल महालोक के बेसमेंट पार्किंग के ऊपर निर्मित दुकान/कियोस्क “प्रसादम्” (Prasadam) को 30 वर्ष के लिए लीज पर नियमानुसार निर्धारित वार्षिक लीज रेंट पर दिये जाने का निविदा पत्र

कार्यालय, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

मेला कार्यालय, कोठी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456010

NIT No. USCL/349 **दिनांक** :- 15.07.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) द्वारा श्री महाकाल महालोक के बेसमेंट पार्किंग के ऊपर निर्मित दुकान/कियोस्क "प्रसादम्" (Prasadam) के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है

1. **ई - निविदा क्रमांक : -**2024_UAD_357089_1
2. **समय सारणी :-**

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ऑनलाइन निविदा पंजीयन प्रारंभ करने का दिनांक एवं समय	15.07.2024
2.	ऑनलाइन निविदा ऑफर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय (तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि)	20.08.2024, 17:00 pm
3.	निविदा के तकनीकी प्रस्ताव खुलने की दिनांक एवं समय	22.08.2024, 11:00 am
4.	निविदा का ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव निविदा प्रपत्रों का मूल्यांकन होने पश्चात ओपन किया जाएगा| जिसकी सूचना एस एम एस / ईमेल के माध्यम से दी जावेगी	सूचित किया जाएगा
5.	निविदा की वैधता अवधि	वित्तीय प्रस्ताव खुलने की तिथि से 180 दिन तक

नोट: प्रमुख तिथियों में किसी मामले में, ई-पोर्टल पर दिखाई देने वाली प्रमुख तिथियां अंतिम होंगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट: **www.mptenders.gov.in** देखें। शुद्धिपत्र या संशोधन, यदि कोई हो, केवल इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

मानचित्र

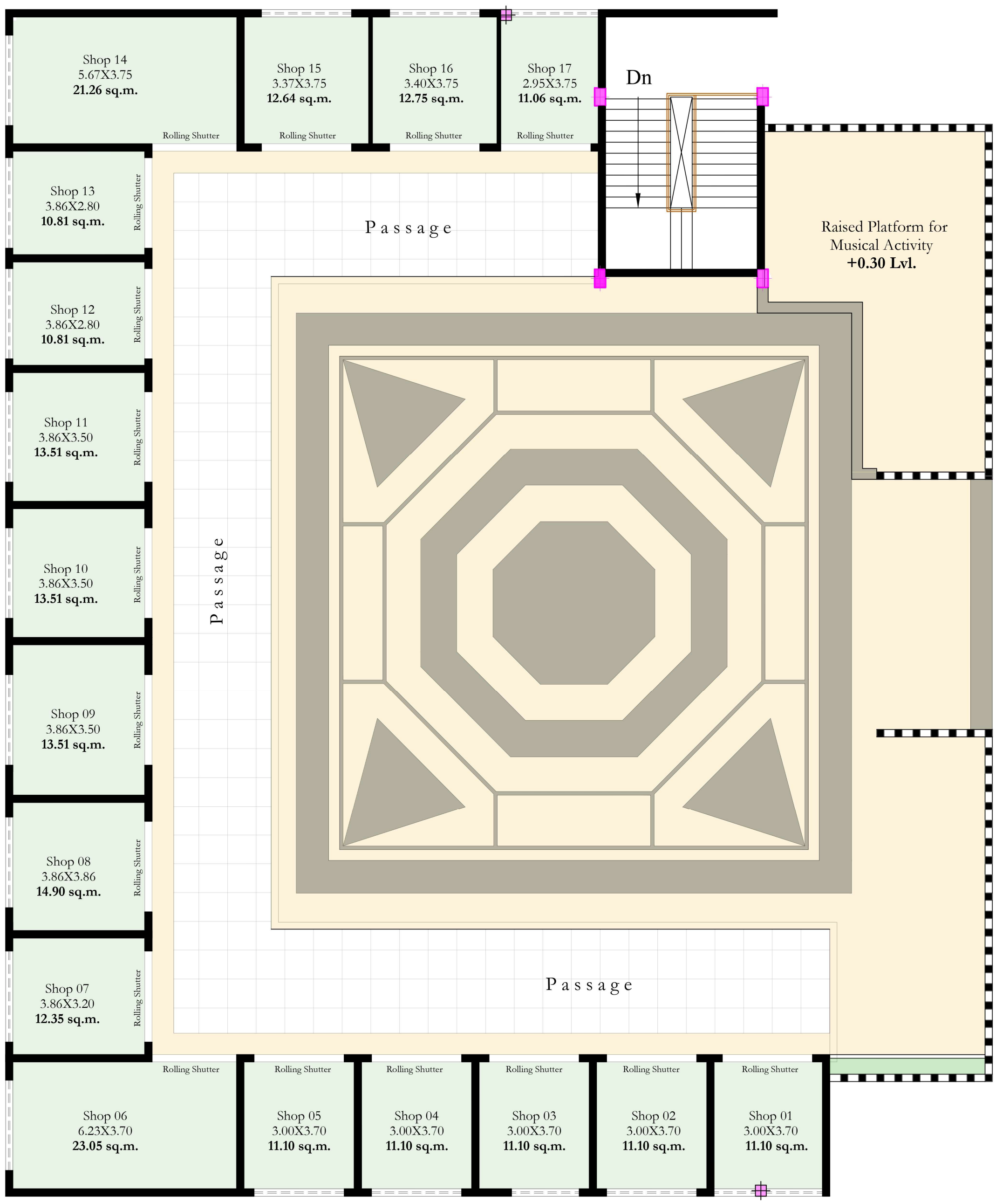

Shop 14
5.67X3.75
21.26 sq.m.
Shop 15
3.37X3.75
12.64 sq.m.
Shop 16
3.40X3.75
12.75 sq.m.
Shop 17
2.95X3.75
11.06 sq.m.
Dn
Rolling Shutter
Shop 13
3.86X2.80
10.81 sq.m.
Shop 12
3.86X2.80
10.81 sq.m.
Shop 11
3.86X3.50
13.51 sq.m.
Shop 10
3.86X3.50
13.51 sq.m.
Shop 09
3.86X3.50
13.51 sq.m.
Shop 08
3.86X3.86
14.90 sq.m.
Shop 07
3.86X3.20
12.35 sq.m.
Passage
Raised Platform for
Musical Activity
+0.30 Lvl.
Shop 06
6.23X3.70
23.05 sq.m.
Shop 05
3.00X3.70
11.10 sq.m.
Shop 04
3.00X3.70
11.10 sq.m.
Shop 03
3.00X3.70
11.10 sq.m.
Shop 02
3.00X3.70
11.10 sq.m.
Shop 01
3.00X3.70
11.10 sq.m.

मानचित्र (Key Plan)

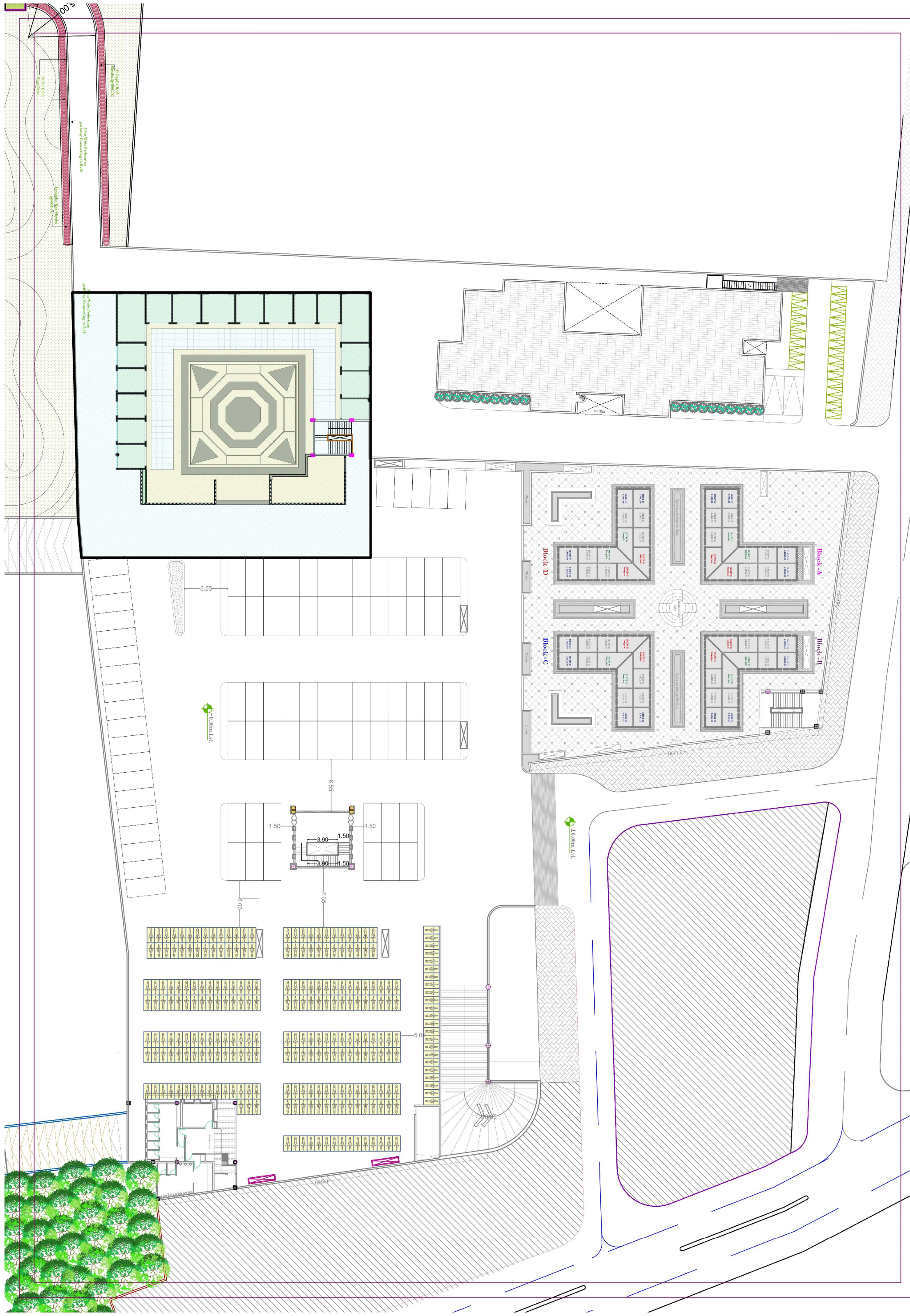

<u>ऑफर आमंत्रण निविदा प्रपत्र</u>

फ़ूड एंड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (**FSSAI**) के 'हेल्दी एवं हाईजेनिक फ़ूड स्ट्रीट' प्रोग्राम के तहत उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वार्ड क्रमांक 31 में श्री महाकाल महालोक के बेसमेंट पार्किंग के ऊपर निर्मित दुकान/कियोस्क "प्रसादम्" (**Prasadam**) का निर्माण किया गया है|

प्रसादम् (**Prasadam)** में स्थापित **दुकान/कियोस्क क्रमांक 14** को **30** वर्ष के लिए लीज पर नियमानुसार निर्धारित वार्षिक लीज रेंट पर दिये जाने के लिये निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से अधिक राशि की प्रस्थापना (ऑफर) आमंत्रित की जाती है।

उक्त को लीज पर लिये जाने के लिये इच्छुक व्यक्ति / संस्था / साझेदारी फर्म / कंपनी / स्व सहायता समूह / **LLP** या कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति / संस्था / फ्रेंचाईजी से निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से अधिक राशि का ऑनलाईन ऑफर आमंत्रित किया जाता है।

सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण -	**श्री महाकाल महालोक के बेसमेंट पार्किंग के ऊपर निर्मित दुकान/कियोस्क "प्रसादम्" (Prasadam) में स्थापित दुकान/कियोस्क क्रमांक 14, जिसका बिल्ड-अप एरिया 24.18 वर्ग मीटर एवं कारपेट एरिया 21.26 वर्ग मीटर है - 2nd Call**
आरक्षण स्थिति -	**अनारक्षित वर्ग**
न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू. -	**44,33,700.00**
अमानत राशि (5 प्रतिशत) -	**2,21,685.00**
टेण्डर डाक्यूमेंट की लागत -	**5,000.00**

टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करने एवं बिड प्रस्तुत करने की दिनांक ई-टेण्डरिंग पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें |

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण -

ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

ऑनलाईन बिड करने हेतु ई-टेण्डर पोर्टल (www.mptenders.gov.in) "Online bidder Enrollment" पर जाकर लॉगिन एवं पासवर्ड लिया जाना होगा, इस हेतु आयकर पेन कार्ड आवश्यक है एवं ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने हेतु डिजीटल सिगनेचर क्लॉस-3 साईनिंग की आवश्यकता होगी।

'अनुसूची-3" अनुसार ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा / ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

यह ऑफर ऑनलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

प्रथम लिफाफा "ए" जिसमें निम्न दस्तावेज ऑनलाईन सम्बद्ध करें:-

1. अमानत राशि ऑनलाईन ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की पावती की स्वप्रमाणित स्केन प्रति।
2. आरक्षित वर्ग के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित स्केन प्रति लगाई जाना आवश्यक है।
3. व्यक्तिगत होने पर आधार कार्ड व पेन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति। संस्था / कंपनी होने पर जीवित (**Valid**) पंजीयन की स्वप्रमाणित स्केन प्रति।
4. निर्धारित आवेदन प्रारूप "अनुसूची -1" में पूर्ति उपरान्त स्वप्रमाणित स्केन प्रति।
5. निर्धारित शपथ पत्र प्रारूप "अनुसूची - 2" में पूर्ति उपरान्त स्वप्रमाणित स्केन प्रति।

लिफाफे 'ए' में वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। परन्तु अपठनीय होने या अन्य किसी कारण से आवश्यक होने पर वांछित अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त की जा सकेगी |

द्वितीय लिफाफा "बी" में ऑफर बिड प्रस्तुत की जावे:-

ऑफर बिड अर्थात लिफाफा 'बी' ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत की जावे। लिफाफा 'ए' में ऑफर के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जावे अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम लिफाफा "ए" खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एवं दस्तावेज पाये जाने पर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात् पात्र व्यक्ति / संस्था / साझेदारी फर्म / कंपनी / स्व सहायता समूह / **LLP** का लिफाफा "बी" खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मूल्यांकन के आधार चयन किया जावेगा।

अमानत राशि की वापसी -

यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस की जावेगी। ऐसी जमा अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता योग्यता -

निविदादाता (ऑफरदाता) से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों / मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता (ऑफरदाता) को पूर्व मूल्यांकन के दौरान खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) -

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता (ऑफरदाता) को ऑफर के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि -

निविदादाता (ऑफरदाता) द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।

विवाद समाधान प्रक्रिया -

इस निविदा प्रपत्र की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादो का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

निविदा की सामान्य शर्ते

1. निविदादाता से आशा की जाती है कि वे निविदा डाक्यूमेन्ट में लिखित शर्तो का गहन अध्ययन एवं प्रसादम स्थल का अवलोकन करने के पश्चात ही ऑफर प्रस्तुत करे।

2. निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करने वाले के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।

3. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता (ऑफरदाता) की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा की विशेष शर्ते

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा श्री महाकाल महालोक स्थित प्रसादम् **(Prasadam)** क्षेत्र में स्थापित दुकान/कियोस्क क्रमांक 14 जिसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य (प्रीमियम राशि) से अधिक पर **30** वर्ष की लीज पर नियमानुसार निर्धारित वार्षिक भू-भाटक पर दिये जाने के लिये निम्नलिखित शर्तो पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. ई-निविदा के साथ न्यूनतम आरक्षित मूल्य (प्रीमियम राशि) का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) राशि प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि) के रूप में ऑनलाईन जमा की जाना होगी।

2. यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस की जावेगी। राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदादाता द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते में वापस होगी।

3. उच्चतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति के उपरांत समस्त राशि जमा होने एवं विधिवत अनुबंध पत्र सम्पादित होकर कब्ज़ा प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्बंधित की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदादाता द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते बिना ब्याज के वापस होगी।

4. निविदादाता व्यक्तिगत होने की स्थिति में को वैध पहचान पत्र हेतु वोटर आई. डी./ पेनकार्ड / वाहन चालक लायसेंस / बैंक की फोटोयुक्त पासबुक / अन्य कोई वैध पहचान पत्र की स्वच्छ स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं निविदादाता संस्था हो तो ऐसी स्थिति में संस्था का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. आरक्षित वर्ग की दुकान/कियोस्क के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत करना होगा।

6. दुकान/कियोस्क वार्षिक लीज पर दी जाना है, जिसके लिये आरक्षित मूल्य (प्रीमियम राशि) की ई-निविदा दी जावेगी। न्यूनतम निर्धारित आरक्षित मूल्य (प्रीमियम राशि) से कम राशि की ई-निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. निर्मित दुकान/कियोस्क के लिये उच्चतम निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात सर्वोच्च निविदादाता को उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ईमेल / वाटसअप के माध्यम से सूचित किये जाने पर सूचना प्राप्ति की दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में उद्दृत राशि (Quoted Value) की 25 प्रतिशत राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रस्तुत ई-निविदा की सक्षम स्वीकृति उपरांत सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस के अंदर शेष समस्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा | आवेदक को ई-निविदा में ई-मेल एवं वाटसअप नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा।

8. यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा उद्दृत राशि (Quoted Value) की 25 प्रतिशत राशि या शेष राशि का भुगतान संसुचित अवधि (निर्धारित अवधि) के अंदर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्राप्त निविदा को अनुपयुक्त (निरस्त) घोषित कर प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि)/ जमा की गयी सम्पूर्ण राशि राजसात कर पुनः ई-निविदा आमंत्रित कर सकेगा। इस सम्बंध में सम्बंधित निविदादाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9. ई-निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की गई राशि पर वर्तमान दर अनुसार 18% या तत्समय प्रचलित दर के मान से GST प्रथक से भी देय होगा। (GST shall also be payable additionally on quoted amount by the bidder as per the current rate of 18% or the prevailing rate at that time).

10. स्वीकृत निविदादाता को आधिपत्य लेने के पूर्व निर्धारित अवधि में पंजीकृत पट्टा विलेख (लीज डीड) कराकर निर्धारित 15 दिवस की अवधि में विधिवत कब्जा प्राप्त करना होगा और यदि 15 दिवस की अवधि में कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है, तब भी उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा प्राधिकृत संस्था लीज रेंट वसूलने की अधिकारी होगी। पंजीकृत पट्टा विलेख (लीज डीड) अभिलेख पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

11. किसी भी ई-निविदा को चरण में निविदा खोलने के पहले या बाद अथवा किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम निविदा स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा|

12. सर्वोच्च निविदादाता द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान करने एवं पट्टा विलेख (लीज डीड) होने के पश्चात दुकान/कियोस्क का स्वामित्व मिलेगा|

13. लीज पर आवंटित दुकान/कियोस्क आदि का वार्षिक लीज रेंट प्रति वर्ष अग्रिम देय होकर प्रथम 10 वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 01 प्रतिशत देय होगा, तत्पश्चात अगले 20 वर्षो के लिए निविदा में प्राप्त प्रीमियम (ऑफर राशि) के मूल्य जिसके अनुमोदन पर दुकान/कियोस्क आदि के अंतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, का 02 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट देय होगा | जिसपर तत्समय प्रचलित दर अनुसार जी.एस.टी. पृथक

से देना होगा। लीज रेन्ट विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूल किया जावेगा |

14. यदि आवंटिती के द्वारा लगातार 03 वर्ष तक लीज रेंट जमा नहीं किया जाता है तो येसी स्थिति में तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवंटित दुकान/कियोस्क का आवंटन निरस्त करते हुए समस्त जमा राशि को राजसात कर कब्ज़ा लिया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में आवंटिती का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा |

15. लीज की अवधि 30 वर्ष की होगी जिसे उभय पक्ष की सहमति व पट्टा विलेख (लीज डीड) की शर्तानुसार एवं तत्समय प्रचलित नियमों के तहत आगामी 30 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा। लीज डीड के पंजीयन दिनांक से ही लीज का प्रारंभ माना जावेगा।

16. आवंटित दुकान/कियोस्क मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के नियम-18 के प्रावधान अनुसार बैंक में आवंटित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनापत्ति आवंटिती द्वारा चाहे जाने पर तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी।

17. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला कलेक्टर उज्जैन (अध्यक्ष उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड) अथवा तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. निविदादाता को पट्टा विलेख (लीज डीड) में उल्लेखित शर्तो तथा ऐसी अन्य सभी शर्तो को जो समय-समय पर तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपित की जावे, मान्य होगी।

19. आवंटित दुकान/कियोस्क वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति में लीज पर आवंटित की जावेगी।

20. दुकान/कियोस्क की छत का स्वामित्व सम्बंधित विभाग / संस्था का रहेगा एवं दुकान/कियोस्क के सामने स्थित खुले क्षेत्र पर अधिकार पूर्णत: सम्बंधित विभाग / संस्था का रहेगा ।

21. निविदादाता को उप-किरायेदार रखने का अधिकार नहीं होगा।

22. निविदादाता को आवंटित दुकान/कियोस्क पर किसी भी प्रकार की प्लास्टिक के अलावा शासन द्वारा प्रतिबंधित की गई सामग्री का विक्रय व उपयोग नहीं किया जा सकेगा और यदि आवंटित दुकान/कियोस्क में प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय, उपयोग किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकृत के द्वारा दंड के रूप में प्रथम बार 5,000/-, द्वितीय बार 10,000/- जुर्माना की कार्यवाही की जावेगी और यदि उसके उपरांत भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय व उपयोग किये जाने की दशा में संबंधित आवंटिती को सूचना पत्र देकर आवंटन निरस्त कर जमा की गई समस्त राशि राजसात करने का अधिकार जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को रहेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार संबंधित आवंटिती को नहीं रहेगा।

23. निविदादाता को आवंटित दुकान/कियोस्क पर आवंटिती द्वारा अण्डे, मांस, मछली (सभी तरह की मांसाहार खाद्य सामग्री) व मादक पदार्थो, मद्य पान, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा आदि का विक्रय एवं उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा जिस व्यवसाय में लायसेंस लेना आवश्यक होगा उस व्यवसाय का लायसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकेगा।

24. श्री महाकाल महालोक परिसर में स्थापित प्रसादम् (Prasadam) का उद्देश्य आगंतुकों को पूरी तरह हेल्दी एवं हाईजनिक खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है| प्रसादम् की दुकानो के आवंटीयों को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

- दुकान/कियोस्क से केवल शाकाहारी खाद्य एवं पेय पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा ।
- दुकान/कियोस्क में अन्य उत्पादों के साथ श्रीअन्न अर्थात मोटा अनाज के उत्पादों का विक्रय अनिवार्य होगा |
- दुकान/कियोस्क से सभी प्रकार के फास्ट फूड/ जंक फूड एवं मैदा से निर्मित खाद्य पदार्थों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा |
- प्रसादम् में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों का निर्माण आर.ओ. जल से किया जाना अनिवार्य होगा |
- प्रत्येक आवंटी को FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा एवं लाइसेंस की समस्त शर्तों का पालन करना होगा साथ ही खाद्य पदार्थों निर्माण, क्रय एवं विक्रय आदि में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम व विनियम 2011 के प्रावधानों एवं तत्समय के प्रावधानों नियमानुसार पालन करना होगा |
- दुकान/कियोस्क में खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, सर्विस आदि गतिविधियों में सम्मिलित कर्मचारी को व्यैक्तिक स्वछता का पूर्णत: पालन करना होगा एवं फ़ूड सेफ्टी सुपरवाइजर (FoSTaC) का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा |
- दुकान/कियोस्क में कार्यरत स्टाफ अर्थात फ़ूड हैंडलर को कार्य स्थल के निर्धारित ड्रेस कोड (एप्रिन, हेड गियर आदि) का पालन करना होगा तथा उनका निर्धारित प्रारूप में मेडिकल एग्जामिनेशन नियमित रूप से कराना अनिवार्य होगा |
- प्रसादम के सम्पूर्ण परिसर में पॉलिथीन का उपयोग पूर्णत: वर्जित रहेगा | भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थ परोसने के लिए इको-फ्रेंडली डिस्पोजेबल का उपयोग करना होगा|

25. आवंटिती का यह दायित्व होगा कि वह आवंटित दुकान/कियोस्क में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेगा और यदि उसके द्वारा विक्रित की गयी खाद्य सामग्री से किसी उपभोक्ता को फूड पॉइजनिंग अथवा अन्य कोई हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित आवंटिती का होगा |

26. आवंटिती को अपनी दुकान/कियोस्क से विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की प्रत्येक छिमाही में **NABL** खाद्य प्रयोग शाला से जांच कराना अनिवार्य होगा एवं जांच प्रमाण पत्र का रिकोर्ड रखना आवश्यक होगा |

27. व्यापारी ई-वाहन का उपयोग करते हुए सामान का आवागमन कर सकेंगे| सामान के आवागमन का समय उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड / श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा|

28. दुकान/कियोस्क को खोलने - बंद करने के समय के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड / श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा| श्रद्धालुओं की संख्या, सुरक्षा एवं

सुचारू व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड / श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा समय समय पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा जो सर्वमान्य होगा |

29. उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड / श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दुकान/कियोस्क आवंटितियों एवं उनके कर्मचारियों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये जावेगे |

30. श्री महाकाल महालोक की एकरूपता को बनाये रखने के लिये आवंटित दुकान/कियोस्क में लगने वाले फ्लेक्स / बैनर / साइनबोर्ड इत्यादि की रुपरेखा, रंग, आकार आदि की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदाय की जाएगी **|** आवंटिती का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं के व्यय पर प्रदाय की गयी रुपरेखा, रंग, आकार आदि के अनुसार ही फ्लेक्स / बैनर / साइनबोर्ड इत्यादि का उपयोग करें |

31. आवंटिती को आवंटित दुकान/कियोस्क की आन्तरिक/बाह्य विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस प्रकार का किया गया परिवर्तन / परिवर्धन सम्बंधित विभाग / संस्था की सम्पत्ति होगी। आवंटित की गयी दुकान/कियोस्क की आन्तरिक विद्युत सज्जा का अधिकार अपने स्वयं के व्यय पर सम्बंधित आवंटिती का रहेगा , परन्तु ऐसी आंतरिक विद्युत सज्जा के दौरान आवंटित दुकान/कियोस्क की किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार आवंटिती को नहीं रहेगा|

32. आवंटित दुकान/कियोस्क के बाहर के स्थान का किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग जैसे कि कोरिडोर को किसी भी प्रकार के फ्लेक्स, बैनर आदि से अवरुद्ध किया जाना, मध्य कॉमन फैसिलिटी क्षेत्र में स्थायी/अस्थायी निर्माण किया जाना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है अगर आवंटिती के द्वारा उक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जमा राशि राजसात कर बेदखली की कार्यवाही की जा जायेगी।

33. प्रसादम में इनवर्टर, आर.ओ. वाटर, साफ-सफाई, मैंटेनैन्स, आदि व्यवस्थाओं हेतु सभी आवंटितियों को मिलकर म. प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत संस्था का गठन कर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा तथा प्रसादम के मैंटेनैन्स हेतु एक संस्था का गठन करना होगा | उक्त संस्था सभी आवंटितियों से एक निश्चित राशि प्राप्त करेगी एवं समस्त आवंटिती निर्धारित राशि को प्रतिमाह देने के लिए बाध्य होगे | कॉमन फैसिलिटी क्षेत्र का रखरखाव एवं देखरेख आदि कार्य संस्था द्वारा संधारण संस्था को आवंटितियों से प्राप्त राशि से किया जावेगा|

34. आवंटिती को आवंटित दुकान/कियोस्क की स्थायी संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा साथ ही इस प्रकार का किया गया परिवर्तन / परिवर्धन सम्बंधित विभाग / संस्था की सम्पत्ति होगी। आवंटित की गयी दुकान/कियोस्क की आन्तरिक साज सज्जा का अधिकार अपने स्वयं के व्यय पर सम्बंधित आवंटिती का रहेगा परन्तु ऐसी आंतरिक साज सज्जा के दौरान आवंटित दुकान/कियोस्क की किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार आवंटिती को नहीं रहेगा।

35. आवंटिती को आवंटित दुकान/कियोस्क का आवंटन व्यवसायिक उपयोग हेतु किया जावेगा इसलिये आवंटित दुकान/कियोस्क को संपरिवर्तन (भू-स्वामी का अधिकार) नहीं किया जा सकेगा।

36. आवंटिती दुकान/कियोस्क पर यदि कोई ऋण, भार अथवा अन्य दायित्व देय है, तो उसका भुगतान करने का दायित्व आवंटिती का रहेगा।

37. आवंटिती को गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग अलग कचरेदान की व्यवस्था करनी होगी एवं कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी आवंटिती की होगी |

38. अवयस्क के नाम पर निविदा मान्य नहीं होगी |

39. ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् किसी भी निविदादाता के द्वारा जमा की गयी निविदा प्रपत्र के लिए जमा राशि (Cost of Tender/ आवेदन शुल्क) को वापस नहीं किया जावेगा |

40. दुकान/कियोस्क के कर्मचारियों द्वारा शिष्ट व्यव्हार किया जाएगा | किसी भी प्रकार कि अशिष्ट व्यव्हार किये जाने पर सम्बंधित पर अर्थदंड के रूप में प्रथम बार 10,000/-, द्वितीय बार 50,000/- का जुर्माना अध्यारोपित किया जायेगा एवं तृतीय बार में सम्बंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी |

41. दुकान/कियोस्क का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के नशे में कार्यस्थल पर लिप्त पाया जाता है तो आवंटिती पर अर्थदंड के रूप में प्रथम बार 10,000/-, द्वितीय बार 50,000/- का जुर्माना अध्यारोपित किया जायेगा एवं तृतीय बार में सम्बंधित कर्मचारी को हटाने के साथ सम्बंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी|

42. यदि दुकान/कियोस्क के उद्दृत राशि (Quoted Value) हेतु दो या दो से अधिक के उच्चतम ऑफर एक समान राशि का प्राप्त होता है तो संबंधितों से संशोधित ऑफर सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कर उच्चतम ऑफर की स्वीकृति का निर्णय लिया जावेगा। सीलबंद लिफाफा खोलते समय संबंधित आफरदाता उपस्थित रह सकते है। सीलबंद लिफाफे में प्राप्त आफर में किसी भी प्रकार की कांट-छांट एवं ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी।

43. आवंटिती को दुकान/कियोस्क में आवश्यक विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन आदि संबंधित विभाग से नियमानुसार प्राप्त करना तथा संपत्तिकर या अन्य कर शुल्क के देयकों का भुगतान भी आवंटिती द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

44. यदि आवंटित सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार की क्षति को आवंटिती को ही वहन करना होगा।

45. किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्ही अन्य हानिकारक पदार्थों का संग्रहण या क्रय, विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

46. आवंटिती किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आस-पास के रहवासी अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

47. आवंटित दुकान/कियोस्क के रखरखाव व सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटिती की होगी।

48. आरक्षित प्रवर्ग की दुकान/कियोस्क को उसी संवर्ग को अन्तरित की जा सकेगी जिसके नामान्तरण की कार्यवाही मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 या तत्समय प्रचलित नियमों के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।

49. आवंटिती की मृत्यु की दिशा में उसके वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 या तत्समय प्रचलित नियमों के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।

50. लीज डीड में अंकित शर्तों का पालन न करने की स्थिति में 30 दिवस का सूचना पत्र दिया जाकर प्राप्त जवाब समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में लीज डीड समाप्त कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

51. आवंटिती द्वारा यदि किसी अपरिहार्य कारणों से आवंटित दुकान/कियोस्क सुपुर्द (surrender) की जाती है तो येसी स्थिति में आवंटिती द्वारा जमा की गयी समस्त राशि वापसी योग्य नहीं होगी |

52. आवंटित दुकान/कियोस्क किसी भी अपरिहार्य कारणों (किसी योजना अंतर्गत, कॉम्पलेक्स के नव निर्माण होने, लोकहित में, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड या तत्समय की सम्बंधित संस्था को आवश्यकता होने पर, इत्यादि से यदि आवंटन निरस्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना देकर आवंटित दुकान/कियोस्क को रिक्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा किन्तु आवंटिती द्वारा दुकान/कियोस्क में किये गये व्यय (मरम्मत व अन्य) का भुगतान नहीं किया जावेगा। इस सम्बंध में आवंटिती को किसी भी प्रकार की आपत्ति या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से लीज की शेष अवधि की जमा आरक्षित मूल्य की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।

53. म. प्र. शासन के आदेश या अन्य किसी भी वैधानिक कारण से यदि आवंटिती दुकान/कियोस्क को रिक्त कराना आवश्यक हो तो उस परिस्थिति में जिला कलेक्टर उज्जैन (अध्यक्ष उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड) अथवा तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी को आवंटित दुकान/कियोस्क को रिक्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा तथा उसमें आवंटिती को कोई भी आपत्ति करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से लीज की शेष अवधि की जमा उद्दृत राशि (Quoted Value) की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।

54. आवंटिती पर प्रस्थापना (टेंडर) की समस्त शर्ते बंधनकारी रहेंगी।

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

अनुसूची-**1**

कार्यालय, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

(आवेदन पत्र)

व्यक्तिगत होने की दशा में नवीनतम रंगीन फोटो

प्रति,

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड उज्जैन (म.प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि मैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन द्वारा निर्मित श्री श्री महाकाल महालोक स्थित प्रसादम् (Prasadam) क्षेत्र में स्थापित **दुकान/कियोस्क क्रमांक 14** को उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड की निर्धारित शर्तो के अधीन लीज पर 30 वर्ष के लिये नियमानुसार निर्धारित वार्षिक भू-भाटक पर लेने का इच्छुक हूँ।

इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:-

1. आवेदक / संस्था का पूरा नाम ....

2. माता/पिता/पति/पत्नी का नाम ....

3. जाति ....

4. आवेदक /संस्था का स्थाई पता ....

....

5. पत्र व्यवहार का पता ....

....

6. आवेदक / संस्था का वाट्सअप मोबाईल नं ....

7. आवेदक / संस्था का ई-मेल आईडी ....

8. आवेदक / संस्था प्रस्तावित दुकान/कियोस्क क्रमांक **14**..
में कौन सा व्यवसाय करेगा **?** (स्पष्ट उल्लेखित करे) ....

आवेदक के हस्ताक्षर

....

अनुसूची-**2**

(शपथ पत्र)

1. मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी प्रस्तुत की गयी है वह पूर्णतः सत्य है।

2. मैंने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड उज्जैन द्वारा निर्मित उक्त दुकान/कियोस्क क्रमांक **14** (व्यवसायिक उपयोग हेतु) को **30** वर्ष की लीज पर दिये जाने संबंधित शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। मैं शर्तो का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

3. मेरे द्वारा दुकान/कियोस्क का व्यक्तिगत रूप के जाकर निरिक्षण कर लिया गया है |

4. मेरे द्वारा दी गयी किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य अथवा भ्रामक पाए जाने पर मेरे द्वारा जमा की गयी जमा की गई समस्त प्रकार की राशि को राजसात करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार मुझे नहीं रहेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

आवेदक (घोषणाकर्ता)

अनुसूची-3

ऑफर बिड

सभी निविदादाता यह ध्यान रखें कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से अधिकतम राशि का ऑफर ऑनलाईन दिया जाना होगा।

निविदा से संबंधित जानकारी उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय के सूचना पटल / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है ।

क्र	**कार्य विवरण**	**ऑफर राशि**
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित श्री श्री महाकाल महालोक स्थित प्रसादम् (Prasadam) क्षेत्र में स्थापित दुकान/कियोस्क क्रमांक 14 को 30 वर्ष के लिए लीज पर नियमानुसार निर्धारित वार्षिक लीज रेंट पर दिये जाने के लिये निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से अधिक राशि की प्रस्थापना / ऑफर ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे।	ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे।

नोट:- निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से कम राशि के ऑफर को मान्य नहीं किया जावेगा।